

कमांक / 600 / आ.जा.क. / पो0मै0ऑन0 छात्र0 / 1 / 2021-22
प्रति,

बेमेतरा,दिनांक 10.08.2021

सहायक संचालक,

जनसंपर्क

जिला - बेमेतरा (छ.ग.)

विषय :- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कालेज स्तर) हेतु वर्ष 2021-22 से ऑनलाईन आय,जाति एवं मूल निवास प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता संबंधी प्रेस विज्ञप्ति जिले के स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करने बाबत।

संदर्भ :- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, नवा रायपुर का पृ. क्र./आ.ला.पो.मै.छा./118/2020-21/2408 दिनांक 04.08.2021

—000—

कृपया विषयांतर्गत विज्ञप्ति को जिले में प्रकाशित होने वाले दो स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार तीन दिवस तक प्रकाशित कराने का कष्ट करे जिससे जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय कक्षा 11वीं, 12वीं, आई. टी. आई, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज एवं पॉलीटेक्निक में अध्ययनरत अनु.जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को सूचित किया जात है कि भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के नवीन गाईड लाईन अनुसार छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों के समस्त प्रमाण पत्रों का ऑनलाईन छात्रवृत्ति पोर्टल पर Digital माध्यम से सत्यापन किया जाना है।

शिक्षा सत्र 2021-22 से ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 10वीं से उच्चतर) में आवेदन करने के लिए लोक सेवा केन्द्र द्वारा जारी ऑनलाईन आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र बनवाना अनिवार्य होगा, जो edistrict.cgstate.gov.in वेबसाईट पर उपलब्ध हो, मान्य होगा, विद्यार्थियों के आधार कार्ड में कोई त्रुटि (नाम, जन्मतिथि पता) सुधार हो तो अवश्य करा लेवें साथ ही विद्यार्थी द्वारा पोर्टल पर प्रदाय किये गये बैंक खाता की Seeding आधार नम्बर से करवाना सुनिश्चित करें।

अतः पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल पारंभ होने से पूर्व लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण एवं निवास प्रमाण-पत्र ऑनलाईन अपडेट कराना सुनिश्चित करें।

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास,जिला-बेमेतरा

बेमेतरा,दिनांक 10.08.2021

पृ. कमांक / 601 / आ.जा.क. / पो0मै0ऑन0 छात्र0 / 1 / 2021-22
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला बेमेतरा की ओर सादर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य/संस्था प्रमुख/शास./अशास./

..... महाविद्यालय/जि.शि.प्र.सं./आई.टी.आई./

विकास खण्ड बेमेतरा/बेरला/साजा/नवागढ़ जिला बेमेतरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

सहायक आयुक्त,

आदिवासी विकास,जिला-बेमेतरा